तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1979

(भारत के राज़पत्र में दिनांकित : 16.3.1979 को प्रकाशित)

सा0का0नि0 236 (असा0) – महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित पहला विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1 लघु शीर्ष एवं शुरूआत :

(1) ये विनियम, तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1979 कहे जाएं।

(2) ये अप्रैल, 1979 के पहले दिन से लागू होगें।

2 परिभाषा :

(I) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो –

(ए) 'लेखा अधिकारी' का तात्पर्य बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ;

(बी) 'बोर्ड', 'अध्यक्ष', 'उपाध्यक्ष' का तात्पर्य महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में उनके लिए क्रमशः नियत होगा ;

(सी) अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई को सुरक्षित करते हुए, 'परिलब्धियां ' का तात्पर्य वेतन, छुट्टी वेतन, या एफआर में परिभाषितानुसार जीविका उपदान और शामिल होगें, वेतन, छुट्टी वेतन या जीविका उपदान अगर स्वीकार्य होता है का उपयुक्त महंगाई भत्ता, और वैदेशिक सर्विस के मामले में प्राप्त वेतन की प्रकृति का कोई भी पारिश्रमिक ।

(विनियम जो सा0का0नि0 910(असा0) , दिनांकित : 23.10.1989 के जरिए प्रतिस्थापित)

(डी) 'कर्मचारी' का तात्पर्य है, व्यक्ति जो बोर्ड के अधीन के सर्विस का सदस्य है और ऐसे व्यक्ति भी शामिल होगें, जिन्हें केन्द्रीय/राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्रधिकारी के देखरेख में उनकी सेवाओं को अस्थायी रूप में रखा गया है ;

(ई) 'परिवार' का तात्पर्य –

(i) पुरूष अभिदाता के मामले में, पत्नी या पत्नियाँ, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहन, मृत बेटे की विद्वा एवं बच्चे ; और अगर अभिदाता के कोई भी माता–पिता जीवित नहीं हैं तो माता–पिता के दादा–दादी ।

बशर्ते कि अगर अभिदाता, यह सिद्ध करता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से अलग कर दी गई है या उस समुदाय के प्रथागत कानून के तहत बंद कर दिया गया है, जिसके लिए वह रखरखाव की हकदार है, इसलिए उसे उन मामलों में अभिदाता परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा, जिनसे ये नियम संबंधित हैं, जबतक कि अभिदाता बाद में लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचित नहीं करता है कि उन्हें ऐसा ही माना जाता रहेगा।

(ii) महिला अभिदाता के मामले में, पति, माता–पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहन, मृत बेटे की विद्वा एवं बच्चे ; और अगर अभिदाता के कोई भी माता–पिता जीवित नहीं हैं तो माता–पिता के दादा–दादी ।

बशर्ते कि अगर अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में नोटिस देते हुए यह इच्छा प्रकट करती है कि उसके परिवार से उसके पति को अलग कर दिया जाए, तो पति को उन मामलों में अभिदाता परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा, जिनसे ये नियम संबंधित हैं, जब तक कि अभिदाता लिखित रूप में ऐसे नोटिस को बाद में रद्द नहीं कर देतीं।

टिप्पणी : 'बच्चा' का तात्पर्य है, वैध बच्चा और शामिल होगा, दत्तक बच्चा, जहाँ गोद लेने वाले को अभिदाता को हुक्मरां व्यक्तिगत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(विनियम जो सा0का0नि0 910(असा0) , दिनांकित : 23.10.1989 के जरिए प्रतिस्थापित)

(एफ) 'फॉर्म' का तात्पर्य है, विनियमों में जोडा गया प्रपत्र

(जे) 'निधि' का तात्पर्य है, तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि

(आई) 'विभागाध्यक्ष' , इन विनियमों के तहत प्रदत्तों शक्तियों के उद्देश्यार्थ तात्पर्य है, बोर्ड द्वारा ऐसा घोषित प्राधिकारी ;

(जे) 'छुट्टी' का तात्पर्य है महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के तहत बनाई गई छुट्टी विनियमों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की छुट्टी, जो अभिदाता को लागू हो सकती है ;

(के) 'वर्ष' का तात्पर्य है वित्तीय वर्ष ।

(II) इन विनियमों प्रयोग किए गए कोई अन्य भाव जिसे भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का 19) में या केन्द्र सरकार के मूलभूत नियमों में या अभिदाता को लागू किसी अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है, तो ऐसे अधिनियम, नियमों या विनियमों में उन्हें क्रमशः नियत तात्पर्य होगीं।

3 निधि का संघटन एवं प्रबंधन

(1) इन विनियमों की शुरूआत की तारीख को एवं से, बोर्ड के कर्मचारियों के कल्याण हेतु निधि की स्थापना बोर्ड करेगा।

(2) बोर्ड द्वारा निधियों को प्रशासित किया जाएगा और भारत में रुपयों में उसका रखरखाव किया जाएगा।

4 योग्यता की शर्ते

(1) सभी अस्थायी कर्मचारी, एक वर्ष की लगातार सेवा करने के उपरान्त, पुनर्नियोजित सेवानिवृत्तों, उनको छोडकर जो कि अंशदायी भविष्य निधि में स्वीकृति केलिए योग्य हैं, और सभी स्थायी कर्मचारी इस निधि को अंशदान कर सकते हैं।

(2) सभी अस्थायी कर्मचारी, जिन्होनें महीने के बीच के दौरान लगातार सर्विस पूरा किया है, बाद के महीने से निधि को अंशदान कर सकते हैं।

(3) अस्थायी कर्मचारी, जिन्हें नियमित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्त किए गए हैं और एक वर्ष से ज्यादा केलिए कायम रहने की संभावना रखते हैं, एक वर्ष की सेवा पूरा होने से पूर्व किसी भी समय पर, निधि को अंशदान कर सकते हैं।

(4) बोर्ड, अपनी इच्छा पर, निधि में अंशदान करने केलिए, कर्मचारी के किसी भी वर्ग को स्वीकार्य दे सकता है।

(5) कर्मचारी, जो किसी भी अंशदायी भविष्य निधि के अंशदाता हैं, को निधि में अंशदान करने की जरूरत नहीं है।

(6) निधि में कर्मचारियों की स्वीकार्यता में, निम्नलिखित पद्धति शामिल होगीं, अर्थात् :

(ए) आवेदन फॉर्म –। का जमा करना ।

(बी) खाता संख्या का आबंटन । कार्यालय प्रधान को कर्मचारियों से आवेदन, फॉर्म – । में, सेवा का एक वर्ष पूरा होने से पूर्व, 3 महीने पहले ही प्राप्त करना होगा ।

5 शेषों का अंतरण

इन विनियमों के आरंभ में, सामान्य भविष्य निधि नियम, 1960 या लागू किसी अन्य प्रकार की सामान्य भविष्य निधि नियमों के तहत संघटित सामान्य भविष्य निधि के खाते में के बकाया शेष को,

ऐसे कर्मचारियों केलिए इन विनियमों के तहत गठित बोर्ड के अधीन, कर्मचारी के खाते को जमा किया जाएगा।

6 नामांकन

(1) अंशदाता को निधि में ज़ाइन होने के समय पर, उनकी मृत्यु के उपरान्त , निधि में उनके नामे की बकाया रकम, भुनानी करने से पूर्व की रकम, या भुनानी किए जाने की रकम, जिसे अदा नहीं किया गया है, को प्राप्त करने केलिए एक या उससे ज्यादा व्यक्तियों को अधिकार देते हुए, उनका नामांकन लेखा अधिकारी को भेजना होगा ।

बशर्ते कि अंशदाता, जिसके पास नामांकन के दौरान परिवार रहता है, तो अपने परिवार के सदस्यों या किसी एक सदस्य के हित में ही ऐसा नामांकन कर सकता है।

बशर्ते कि किसी भी भविष्य निधि के मामले में, अंशदाता द्वारा इस निधि में जाइन होने से पूर्व, नामांकन किया गया है तो ऐसे अन्य निधि में उनके खाते के रकम को, इस निधि में उसके नामे अंतरित किया गया है, तो इस विनियम के तहत किए गए नामांकन को विधिवत् रूप से स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा कि वह इस विनियम के अनुसरण में नामांकन करता है।

(2) अगर अंशदाता, उप विनियम (1) के तहत एक से ज्यादा व्यक्तियों का नामांकन करता है, तो उसे स्पष्ट रूप से बताना होगा कि किसी भी समय पर, निधि में उसके नामे के बकाया संपूर्ण रकम को, ऐसे मामले में, हरेक नामांकन को कितना शेयर रकम भुनानी होना चाहिए।

(3) हरेक नामांकन को परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त रूप से किसी एक फॉर्मों II, III, IV एवं V में दिया जाना है।

(4) अंशदाता किसी भी समय पर, लेखा अधिकारी को लिखित रूप में नोटिस देते हुए नामांकन को रद्द कर सकते हैं। अंशदाता ऐसे नोटिस के साथ या इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किए गए किसी भी नामांकन को अगल रूप से भेज सकते हैं।

(5) अंशदाता, नामांकन में निम्न प्रबंध कर सकते हैं :

(ए) विनिर्दिष्टित नामांकन के मामले में कि अगर नामित व्यक्ति का, अंशदाता से पहले निधन हो जाता है तो उस नामित व्यक्ति पर थोपे गए अधिकार को ऐसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को आगे दे सकता है, जिन्हें नामांकन में विनिर्दिष्टित किया गया है बशर्ते कि ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को , अगर अंशदाता के परिवार में ऐसे अन्य सदस्य हैं, जो ऐसे अन्य सदस्य बन सकते हैं। जहाँ अंशदाता को ऐसे अधिकार है कि इस खंड के तहत एक से ज्यादा व्यक्ति को अधिकार दिया जा सकता है तो उसे निर्दिष्ट करना होगा कि नामांकन को अदा किए जाने वाले पूरे रकम को, ऐसे व्यक्तियों के बीच किस तरह से अदा किया जाना है या हरेक को कितना कितना रकम दिया जाना है ;

(बी) कि उसमें विनिर्दिष्टित आकस्मिकताओं की वज़ह से नामांकन अपने आप अमान्य हो जाएंगी ;

बशर्ते कि अगर नामांकन करते समय, अंशदाता का कोई परिवार नहीं होता है तो वह नामांकन में इसका प्रबंध करेगा कि बाद में उसका परिवार हो जाने के उपरान्त वे नामांकन अमान्य हो जाएंगे ;

बशर्ते कि और आगे कि अगर नामांकन करते समय, अंशदाता के पास परिवार सिर्फ एक ही सदस्य होता है तो नामांकन में उनका अधिकार होगा कि खंड (ए) के तहत एक वैकल्पिक नामांकन करें और जो उसके द्वारा उसके परिवार में एक और सदस्य आ जाने के बाद, यह नामांकन अमान्य हो जाएगा ;

(6) नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के तुरंत ही, जिसके मामले में उप विनियम (5) के खंड (ए) के तहत नामांकन में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है या उप विनियम (5) के खंड (बी) के अनुसरण में या उसके प्रावधान में, किसी भी घटना के घटने के कारण से नामांकन अमान्य हो जाता है, तो अंशदाता को लिखित रूप में इसकी सूचना लेखा अधिकारी के ध्यान में लानी होगी जिसके आधार पर, विनियम के प्रावधानों के अनुसार पूरा नामांकन रद्द करते हुए नया नामांकन किया जाएगा।

(7) अंशदाता द्वारा किया गया हरेक नामांकन और रद्दीकरण की हरेक सूचना की प्रभावात्मकता की तारीख तब से ही मानी जाएगी जिस तारीख को उसे लेखा अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(8) उस मामले में जहाँ अंशदाता के विधवा के हित में कोई नामांकन विद्यमान नहीं है तो उसके पूर्व पति के निक्षेप निधि के मामले में उसके द्वारा दावा किए जाने पर , उसके द्वारा दूसरी शादी किए जाने पर कोई प्रभाव नहीं करेगा।

7 अंशदाता का खाता

हरेक अंशदाता के नाम पर एक खाता रखरखाव किया जाएगा और जिसमें निधि से अग्रिम अथवा निकासी के अलावा उसके अंशदानों की रकम पर, विनियम 12 मे निर्धारितानुसार गणन किए गए ब्याज को भी दर्शाया जाएगा।

8 अंशदान की शर्ते एवं दरें

(1) अंशदाता को निधि में हर माह अंशदान करना होगा सिवाय जब उसके निलंबनाधीन की अवधि को छोडकर ।

बशर्ते कि अंशदाता चाहे तो उसके विकल्प पर, छुट्टी के दौरान भी अंशदान नहीं कर सकता है जिस छुट्टी को कोई छुट्टी वेतन नहीं है या उसके बराबर का छुट्टी वेतन प्राप्त करता है या उसके आधे से भी कम।

बशर्ते कि और आगे अंशदाता निलंबनाधीन की अवधि के बाद वापस ड्यूटी पर आ जाने के उपरान्त, उसे निलंबनाधीन की अवधि केलिए अदा किए जाने वाले अंशदानों की अधिकतम बकाया रकम ाके एक मुश्त में किश्तों में अदा किए जाने का विकल्प दिया जाएगा।

(2) अंशदाता को लिखित रूप में लेखा अधिकारी को (विनियम 8 के उप–विनियम (1) के पहले प्रावधान को संदर्भ करते हुए) छुट्टी के दौरान अंशदान नहीं करने का विकल्प देना होगा। इस तरह से समय पर सूचना देने से चूके जाने पर, अंशदान चालू रखे जाने के स्वरूप में माना जाएगा। अंशदाता द्वारा, इस उप–विनियम के तहत दी गई सूचना को अंतिम माना जाएगा।

(3) उप–विनियम (1) में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, अंशदाता, उसके द्वारा सेवा को छोडने के महीने में निधि को अंशदान नहीं करेगा जबतक कि उक्त महीने की शुरूआत से पहले, वह लिखित रूप में उक्त महीने के अंशदान करने का विकल्प मुख्यालय को सूचित नहीं करता।

(4) अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को, उसके सेवा के पिछले तीन महीने के दौरान सामान्य भविष्य निधि को किसी भी प्रकार का अंशदान करने से छूट है। अंशदान की समाप्ति अनिवार्य है और वैकल्पिक नहीं। इस अवधि के दौरान, सामान्य भविष्य निधि से ली गई अग्रिम की ओर किसी प्रकार का प्रतिलभ्य नहीं किया जाएगा।

(5) तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि विनियम) 1979 के विनियम 8 (1) (बी) और विनियम 9 (4) में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, अंशदाता जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस या इस तरह के किए गए भुगतानों को प्राप्त करने का हकदार है, अगर चाहता है तो उनके संबंधित भविष्य निधि खाते में, योजनाधीन स्वीकार्य रकम के पूरा या आंशिक रूप में निक्षेप कर सकता है।

(सा0का0नि0 427 (असा0) के जरिए संशोधितानुसार उप–विनियम 3,4 व 5, दिनांकितः 20.04.1992)

9 अंशदान का दर

(1) अंशदान की रकम को अंशदाता द्वारा ही नियत किया जाना है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों पर, अर्थात् :

(ए) इसे पूर्ण रुपयों में व्यक्त किया जाना है ;

(बी) यह कोई भी रकम हो सकती है जो उसके परिलब्धियों के छह प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा और ना ही उसके परिलब्धियों से ज्यादा।

बशर्ते कि अंशदाता के मामले में, जो पहले से ही किसी भी अंशदायी भवष्यि निधि को 8–1/3 के ऊँचे दर पर अंशदान कर रहा हो, जो कि कोई भी रकम हो सकती है, ऐसा व्यक्त, उसके परिलब्धियों से 8–1/3 प्रतिशत से ना ही कम और ना ही उसके कुल परिलब्धियों से ज्यादा होना चाहिए।

(सी) जब एक कर्मचारी, 6 प्रतिशत या 8–1/3 प्रतिशत पर, जैसी स्थिति हो, के न्यूनतम दर पर अंशदान करने का विकल्प करता है, तो रुपए के अपूर्णांक को पास के पूरे रुपए में राउण्ड ऑफ किया जाएगा, 50 पैसे को अगले उच्चतम रुपए के रूप में गणन किया जाएगा।

(2) अंशदाता की परिलब्धियाँ उप–विनियम (1) के उद्देश्य केलिए :–

(ए) अंशदाता के मामले में, जो बोर्ड के सेवा में, पूर्व वर्ष के 31 मार्च से है जिसके लिए उस तारीख पर वह परिलब्धियों का हकदार होता है :

बशर्ते कि :–

(i) अगर अंशदाता छुट्टी पर रहा हो और ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान करने का विकल्प नहीं किया हो या उक्त तारीख पर निलंबनाधीन रहे हों , तो उनकी परिलब्धियाँ वो होगीं जो कि उनके द्वारा ड्यूटी पर वापस आने के पहले दिन पर वे हकदार होगें।

(सा0का0नि0 427 (असा0) के जरिए एवज़ी प्रावधान 1 दिनांकितः 20.04.1992)

(ii) अगर अंशदाता भारत के बाहर, उक्त तारीख पर प्रतिनियुक्त हुए हों और छुट्टी पर रह रहें हों और ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान करने का विकल्प किया हे तो उनकी प्रतिलब्धियाँ ऐसी छुट्टी में वो होगीं जिसके लिए वे हकदार हुए होगें कि अगर वे भारत में रहे होते।

(बी) अंशदाता के मामले में, जो बोर्ड के सेवा में, पूर्व वर्ष के 31 मार्च से है जिसके लिए निधि में उनके द्वारा जुड़ने की तारीख से वह का हकदार होता है :

(3) अंशदाता को, निम्नलिखित पद्धति में हरेक वर्ष में उसके मासिक अंशदान के रकम को नियत करना है, अर्थात् :–

(ए) अगर वह पूर्व वर्ष के 31 मार्च को ड्यूटी पर रहा हुआ होता तो उस महीने केलिए उसके वेतन बिल से इस ओर के उद्देश्यों के लिए कटौती द्वारा ;

(बी) अगर अगर वह पूर्व वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर रहा हो और ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान करने का विकल्प नहीं किया हो या उक्त तारीख पर निलंबनाधीन रहे हों , तो उनके द्वारा ड्यूटी पर वापस आने के बाद, उसके पहले वेतन बिल से इस ओर उसके द्वारा उद्देशित को कटौती द्वारा ;

(सी) अगर वह वर्ष के दौरान, बोर्ड की सेवा में पहली बार प्रवेश हुआ हो तो उसके द्वारा निधि में जुड़े जाने की तारीख के महीने के दौरान केलिए उसके वेतन बिल से इस ओर उद्देशित को कटौती द्वारा ;

(डी) अगर वह पूर्व वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर रहा हो और लगतार छुट्टी पर रह रहा हो तथा ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान करने का विकल्प किया हो तो उस महीने केलिए उसके वेतन बिल से इस ओर में उसके द्वारा उद्देशित को कटौती द्वारा

(ई) अगर वह पूर्व वर्ष के 31 मार्च को फॉरन सर्विस पर रहा हो, तो चालू वर्ष में अप्रैल के महीने केलिए अंशदान करने की वज़ह से, बोर्ड के खाते में उसके द्वारा जमा की गई रकम द्वारा ।

(4) अंशदान की रकम जो नियत है को वर्ष भर के दौरान किसी भी समय पर, एक बार में कटौती किया जाए किया जा सकता है या वर्ष भर के दौरान दो बार बढ़ाया जा सकता है या उपरोक्तानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है :

बशर्ते कि जब कभी भी अंशदान की रकम की कटौती होती है तो वह उप–विनियम (i) में निर्धारित न्यूनतम से कम नहीं होनी चाहिए ;

बशर्ते कि और आगे कि अगर अंशदाता बिना वेतन के छुट्टी पर रह रहा हो या केलण्डर महीने के एक भाग केलिए आधे वेतन पर छुट्टी पर हो और ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान न करने का विकल्प किया हो तो तो अंशदान की भुनानी रकम, छुट्टी, अगर कोई, उपरोक्तानुसार के संदर्भ के अलावा, को शामिल करते हुए, ड्यूटी पर बिताए गए दिनों की संख्या के समानुपातिक होगी ।

बशर्ते कि अगर अंशदाता महीने के किसी भाग में ड्यूटी पर रहा हो और उस महीने के बाकी के दिनों में छुट्टी पर रहा हो तथा उसके छुट्टी के दौरान अंशदान न करने का विकल्प किया हो तो अंशदान की भुनानी रकम, महीने में ड्यूटी पर बिताए गए दिनों की संख्या के समानुपातिक होगी ।

10 फॉरन सर्विस को स्थानांतरण या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति

जब अंशदाता को फॉरन सर्विस के लिए स्थानांतरित किया जाता है या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो वह निधि की नियमों के अधीन उसी तरह होगा जिस तरह कि अगर वह फॉरन सर्विस या प्रतिनियुक्ति पर नहीं गया होता।

11 अंशदान की वसूली

(1) जब परिलब्धियाँ भारत में निकासी होती हैं, तो इन परिलब्धियों के मामले में अंशदान और उसका मूल रकम एवं ब्याज़ तथा अग्रिमों का प्रतिलभ्य, उन प्रतिलभ्यों से ही किया जाएगा;

(2) अगर परिलब्धियाँ, अन्य किसी स्रोतों से निकसी की जातीं हैं तो अंशदाता को उसके मासिक देयों को लेखा अधिकारी को अग्रप्रेषित करना होगा ;

बशर्ते कि अंशदाता के मामले में, सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित बॉडी कार्पोरेट में प्रतिनियुक्ति होने पर, ऐसे बॉडी द्वारा, अंशदानों को प्रतिलभ्य करते हुए लेखा अधिकारी को अग्रप्रेषित किया जाएगा।

(3) अगर अंशदाता उसके द्वारा निधि में जुडे जाने की तारीख से प्रभावी, अंशदान करने में चूक होती है, या पूरे वर्ष के दौरान अन्यथा विनियम 8 में प्रबंध किए गए अनुसान किसी भी महीना या महिनों में डिफॉल्ट होती है, तो अंशदान को बकाया होने की वज़ह से निधि को देय कुल रकम को विनियम 12 में प्रबंधित दर पर उसपर के ब्याज़ सहित को अंशदाता द्वारा तुरंत निधि को अदा करना होगा या डिफॉल्ट होने के मामले में, लेखा अधिकारी द्वारा आदेशानुसार अंशदाता के परिलब्धियों से कटौती करते हुए या किश्तों में प्रतिलभ्य किया जाना है या अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशितानुसार विनियम 13 के उप–विनियम (2) के तहत आवश्यकतानुसार किसी विशेष कारणों पर उपदान केलिए अग्रिम के रूप में मंजूरी दी जा सकती है।

बशर्ते कि अंशदाता, जिसका निधि के निक्षपों में कोई ब्याज़ नहीं है, को किसी प्रकार का ब्याज़ अदा करने की जरूरत नहीं है।

बशर्ते कि और आगे, विनियम 11 के उप–विनियम (2) के प्रावधानों के अनुसरण में अग्रप्रेषित रकमों के मामलों में, निक्षेप की तारीख को, उस महीने के पन्द्रहवें दिन से पहले लेखा अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने पर, उस महीने का पहला दिन होने के रूप में माना जाएगा।

12 ब्याज़

(1) उप विनियम (5) के प्रावधानों के बशर्ते बोर्ड द्वारा हरेक वर्ष केलिए निर्धारित किए गए अनुसार की दरों पर, ब्याज़ को अंशदाता के खाते में ज़मा करने केलिए बोर्ड द्वारा अदा किया जाएगा।

बशर्ते कि अगर एक वर्ष केलिए निर्धारित ब्याज़ का दर 4 प्रतिशत से कम होता है तो सभी अंशदाताओं को उस वर्ष जिसे लिए पहली बार दर को 4 प्रतिशत से कम पर निर्धारित किया गया है, से पूर्व केलिए 4 प्रतिशत लागू किया जाना है।

बशर्ते और आगे कि अंशदाता, जिसे केन्द्र सरकार के किसी अन्य भविष्य निधि के पिछले अंशदानों और जिसका अंशदान उसपर के ब्याज़ सहित के साथ, इस निधि में उसके नामे अंतरित किया गया है को 4 प्रतिशत का दर लागू किया जाएगा, अगर उसे इस विनियम के पहले प्रावधान में कि ऐसे प्रावधान के तहत ऐसे अन्य निधि के अधीन पर ब्याज़ दर प्राप्त हो रहा होता।

(2) ब्याज़ को, निम्नलिखित पद्धति में हरेक वर्ष में आखिरी दिन से प्रभावी होते हुए जमा किया जाएगा, अर्थात् :–

(i) पूर्व वर्ष के अंतिम दिन पर अशदाता के नामे की रकम पर, बारह महीनों केलिए चालू वर्ष ब्याज के दौरान निकासी की गई कोई भी रकम को घटाते हुए ;

(ii) चालू वर्ष के दौरान निकासी की गई रकम पर, निकासी के महीने के पूर्व महीने के अंतिम दिन तक चालू वर्ष की शुरूआत से ब्याज़ ;

(iii) पूर्व वर्ष के अंतिम दिन के बाद, अंशदाता के खाते में जमा हुए रकमों पर, चालू वर्ष के अंत तक निक्षेप की तारीख से ब्याज़ ;

(iv) ब्याज़ की कुल रकम को निकटतम पूरे रुपया तक राउण्ड ऑफ किया जाएगा (50 पैसे को उसके अगले उच्चतम रुपए के रूप में गणन होगी) ;

बशर्ते कि जब अंशदाता के नामे की बकाया रकम की भुनानी हो जाती है तो उसपर के ब्याज़ को, चालू वर्ष की शुरूआत से या निक्षेप की तारीख से की अवधि के लिए मात्र, जैसा मामला हो, इस विनियम के तहत, उस तारीख तक, जब अंशदाता के नामे बकाया रकम की भुनानी होती है, ब्याज़ जमा किया जाएगा।

(3) इस विनियम में, निक्षेप की तारीख, परिलब्धियों से प्रतिलभ्य होने के मामले में, महीने की पहली तारीख से, जिस महीने प्रतिलभ्य किया गया है, से माना जाएगा और अंशदाता द्वारा रकम को अग्रप्रेषित किए जाने के मामले में, प्राप्त किए गए महीने की पहली तारीख से माना जाएगा कि अगर लेखा अधिकारी द्वारा उस महीने के 5 दिनों के अंदर उसे प्राप्त किया जाता है, लेकिन अगर उस महीने के 5 दिन के बाद प्राप्त किया जाता है तो आगामी महीने के पहले दिन से माना जाएगा।

बशर्ते कि जहाँ अंशदाता के वेतन या छुट्टी वेतन एवं भत्ते की निकासी में विलंब होता हो और बाद में निधि के ओर उसके अंशदान केलिए प्रतिलभ्य होता है, तो ऐसे अंशदान के ब्याज़ को विनियम के तहत देय केलिए, महीना जिस में अंशदाता के वेतन या छुट्टी वेतन से भुनानी होगी,चाहे महीना कोई भी हो जिसके दौरान वास्तविक निकासी किया गया था ;

बशर्ते कि विनियम 11 के उप विनियम (2) के प्रावधान के अनुसरण में अग्रप्रेषित रकम के मामले में, निक्षेप की तारीख महीने के पहले दिन को माना जाएगा कि अगर लेखा अधिकारी द्वारा उस महीने के 15 दिन से पहले प्राप्त किया जाता है ;

बशर्ते कि जहाँ महीने केलिए परिलब्धियों का निकासी होता है और उसी महीने की आखिरी तारीख को वितरण किया जाता है, तो निक्षेप की वास्तविक तारीख, अशदानों के प्रतिलभ्यों के मामले में, आगामी महीने के पहले दिन के रूप में होने जैसा माना जाएगा ;

(4) विनियम 21,22 एवं 23 के तहत अदा किए जाने वाले रकम के अतिरिक्त, ब्भुनानी किए गए ऐसे रकम के महीने के बाद के छह महीने के अंत तक किया गया भुगतान के पूर्व महीने के अंत तक, जो भी अवधि कम हो, उस पर का ब्याज़ होगा, जिसे व्यक्ति को अदा किया जाएगा, जिसके लिए ऐसे रकम को अदा किया जाना है :

बशर्ते कि जंहाँ लेखा अधिकारी को यह सूचित किया जाता है कि व्यक्ति (या उसका एजेण्ट) जिस दिन वह नकद से भुगतान करने हेतु तैयार है या उस व्यक्ति को भुगतान

में चेक पोस्ट कर दिया है, तो उस तारीख, जिसे सूचित किया जाता है या चेक की पोस्टिंग की तारीख, जैसी स्थिति हो, के पूर्व महीने के अंत तक ही ब्याज भुनानी होगा ।

टिप्पणी : छह महीने से परे से एक वर्ष की अवधि तक निधि शेषों पर के ब्याज़ के भुगतान को लेखा अधिकारी द्वारा, व्यक्तिगत तौर से यह जांच करने के बाद कि भुगतान में विलंब, परिस्थितियों के कारण से हुआ, जो कि अंशदाता के बस में नहीं था, द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है और ऐसे सभी मामलों में, जहाँ प्रशासनिक विलंब शामिल हुआ होता है, तो उसकी पूरी जांच की जानी चाहिए एवं कार्यवाही , अगर कोई जरूरत पडती है तो ली जानी चाहिए।

(5) अंशदाता के खाते में ब्याज़ को ज़मा नहीं किया जाएगा जब तक कि वह लेखा अधिकारी को सूचित नहीं करता कि वह इसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता ; लेकिन बाद में अगर वह इसकी मांग करता है तो उसे उसकी द्वारा मांगे जाने के वर्ष के पहले दिन से प्रभावी होते हुए जमा किया जाना है।

13 प्रोत्साहन लाभांश योजना :

(सा0का0नि0 910 (असाध0) दिनांकित 23/10/1989) के जरिए हटाया गया)

14 निधि से अग्रिम :

(1) उपयुक्त मंजूरी प्राधिकारी किसी भी अंशदाता को, अग्रिम से भुगतान करने हेतु, जो कि तीन महीने के वेतनया निधि में उसके खातेज़मा के बकाया के आधे रकम से ज्यादा नहीं होगा, जो भी कम होता है, निम्नलिखित उद्देश्यों केलिए, अर्थात् :–

(ए) बीमारी या परिरोध या विकलांगता के संबंध मे, जहाँ आवश्यक हो, अंशदाता और उसके परिवार के सदस्यों या वास्तव में उस पर निर्भर किसी व्यक्ति के यात्रा के व्यय को शामिल करते हुए, खर्चे का भुगतान करने ;

(बी) उच्च शिक्षा के लागत को चुकाने हेतु जहाँ आवश्यक हो, अंशदाता और उसके परिवार के सदस्यों या वास्तव में उस पर निर्भर किसी व्यक्ति के यात्रा के व्यय को शामिल करते हुए, निम्नलिखित मामलों में, अर्थात् :–

(i) हाई स्कूल स्तर से परे शैक्षकणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या पेशेवर पाठ्यक्रम केलिए भारत से बाहर शिक्षा केलिए ; और

(ii) हाई स्कूल स्तर से परे भारत में किसी भी मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेष पाठ्यक्रम केलिए, बशर्ते कि अध्ययन का कोर्स तीन वर्ष से कम की नहीं होती है ;

(सी) अंशदाता के स्टेटस केलिए उपयुक्त पैमाने पर अनिवार्य खर्चों का भुगतान करने हेतु जो कि प्रथागत उपयोग से अंशदाता को बेटे या बेटी के जन्मदिन समारोह को शामिल करते हुए सगाई या शादी, अंतिम संस्कार या अन्य समारोहों के सिलसिले में उठाना पड़ता है।

(डी) अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में, अंशदाता द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में, उसके खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप के संबंध में, अपनी

स्थिति की पुष्टि करने हेतु अंशदाता द्वारा स्थापित कानूनी कार्यवाही की लागत को पूरा करने केलिए ; कियी अन्य स्रोत से उसी उद्देश्य केलिए स्वीकार्य किसी भी अग्रिम के अतिरिक्त, यह अग्रिम में उपलब्ध किया जा रहा है ;

बशर्ते कि इस उप–विनियम के तहत अग्रिम, अंशदाता को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा, जो किसी भी अदालत में या तो अपने आधिकारिक कर्तव्य से असंबंध किसी भी मामले में या बोर्ड के खिलाफ़ सेवा की शर्त या उस पर लगाए गए दंड के संबंध में कानूनी कार्यवाही करता/करती है ।

(ई) अपने बचाव के लागत को पूरा करने हेतु जहाँ अंशदाता पर किसी भी अदालत में मुकदमा चलाया जाता है या जहाँ ग्राहक अपनी ओर से किसी भी कथित कदाचार के संबंध में किसी भी जांच में अपना बचाव करने केलिए एक कानूनी व्यवसायी को नियुक्त करता है।

(एफ) अध्यक्ष के विवेक पर, गंभीर संकट के अन्य मामलों में ;

(जी) अपने आवास केलिए जमीन की प्लॉट या घर या फ्लैट के निर्माण की लागत को पूरा करने हेतु या राज्य आवास बोर्ड या गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जमीन की प्लॉट या घर या फ्लैट के आबंटन केलिए किया जाने वाला कोई भुगतान ;

टिप्पणी : इस विनियम के तहत पहले श्राद समारोह केलिए अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, जो अपनी मृत्यु से पहले अंशदाता के परिवार का सदस्य था/थी या उस पर निर्भर था/थी।

(2) उपयुक्त स्वीकृति प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में, किसी भी अंशदाता को अग्रिम भुगतान की मंजूरी दे सकते हैं, यदि वे संतुष्ट हैं कि संबंधित अंशदाता को उप–विनियम (1) में उल्लिखित कारणों के अलावा के अन्य कारणों से अग्रिम की आवश्यकता है।

(3) लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों को छोड़कर, किसी भी अंशदाता को, उप–विनियम में निर्धारित सीमा से अधिक या किसी पिछले अग्रिम की अंतिम किस्त के पुनर्भुगतान तक अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 : इस विनियम के प्रयोजन केलिए, वेतन में जहाँ स्वीकार्य हो, महंगाई वेतन शामिल है ।

स्पष्टीकरण 2 : इस विनियम के प्रयोजन केलिए उपयुक्त स्वीकृति प्राधिकारी वह प्राधिकारी होगा, जिसे बोर्ड द्वारा समय समय पर अग्रिम स्वीकृत करने केलिए अधिकृत किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण 3 : एक अंशदाता को उप–विनियम (1) के खंड (बी) के तहत हर छह महीने में एक बार अग्रिम लेने की अनुमति होगी।

टिप्पणी 1 : उप–विनियम (3) में विशेष कारण शब्द का अर्थ यह नहीं है कि स्वीकृति प्राधिकारी, उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के लिए अग्रिम स्वीकृत कर सकता है। जिस उद्देश्य केलिए अग्रिम सकता है, वह उस उप–विनियम में उन तक ही सीमित है। की अंतिम किस्त के पुनर्भुगतान से पहले अग्रिम स्वीकृत करने के महीने के वेतन की सामान्य सीमा से अधिक या अंशदान के आधी राशि से अधिक अग्रिम स्वीकृत करने केलिए विशेष हैं।

दिया जा
पिछले अग्रिम
लिए 3
क्रेडिट में जमा
कारण दिए जाने

टिप्पणी 2 : उप–विनियम (3) के तहत अग्रिम मंजूर करने केलिए सक्षम प्राधिकारी, विनियम 16 के तहत आंशिक अंतिम निकासी केलिए मंजूरी देने केलिए सक्षम प्राधिकारी है।

(4) सेवा के अंतिम तीन महीनों के दौरान, कोई अस्थायी अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाएगा ताकि लेखा अधिकारी, सेवानिवृत्ति से पहले 1 महीने के भुगतान केलिए प्राधिकरण जारी करने का कार्य पूरा कर सके। इस अवधि के दौरान किसी भी आंशिक अंतिम निकासी की भी सामान्य रूप से अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि असाधारण दुर्लभ परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आंशिक अंतिम निकासी को मंजूरी दी जा सकती है। उस स्थिति में अंतिम चुकौती के निपटान में विलंब यदि कोई हो की जिम्मेदारी स्वयं अंशदाता की होगी।

15 अग्रिम की वसूली :

(1) अंशदाता से इतनी ही मासिक किस्तों में अग्रिम की वसूली की जाएगी जैसा कि अध्यक्ष या अग्रिम मंजूर करने केलिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी निर्देश दे सकता है, लेकिन ऐसी संख्या 12 से कम नहीं होगी जब तक कि ग्राहक ऐसा नहीं चुने और 24 से अधिक हो। विशेष मामलों में, जहाँ अग्रिम की राशि विनियम 14 के उप–विनियम (3) के तहत अंशदाता के 3 महीने के वेतन से अधिक है और अग्रिम मंजूर करने वाला प्राधिकारी 24 से अधिक लेकिन 36 से अधिक नहीं के किस्तों की ऐसी संख्या तय कर सकता है। एक अंशदाता अपने विकल्प पर एक महीने में एक से अधिक किस्त चुका सकता है। प्रत्येक किस्त पूरे रुपयों की एक संख्या होगा, ऐसे किस्तों के निर्धारण को स्वीकार करने केलिए यदि आवश्यक हो तो अग्रिम की राशि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

(2) अंशदान की वसूली केलिए, विनियम 11 में निर्धारितानुसार के तरीके से वसूली की जाएगी और महीने जिसमें अग्रिम लिया गया था, उसके बाद के महीने केलिए जारी वेतन के साथ शुरू होगी। वसूली नहीं की जाएगी, जब तक कि अंशदाता निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा हो या एक कैलेण्डर माह में 10 दिन या उससे अधिक केलिए छुट्टी पर हो (जिसमें या तो कोई छुट्टी वेतन नहीं होता है या छुट्टी वेतन के बराबर या उससे कम होता है या आधे वेतन से भी कम होता है) बिना अंशदाता की सहमति के। अंशदाता को दिए गए अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान, अध्यक्ष द्वारा अंशदाता के अनुरोध पर वसूली को स्थगित किया जा सकता है।

(3) यदि अंशदाता को अग्रिम दिया गया है और उसके द्वारा आहरित किया गया है और बाद में चुकौती पूर्ण होने से पहले अग्रिम को अस्वीकार कर दिया गया है तो निकाली गई राशि का पूरा या शेष राशि को अंशदाता द्वारा तुरंत चुकाया जाएगा या लेखा अधिकारी द्वारा, डिफॉल्ट होने के स्वरूप में आदेश पारित करते हुए, उप विनियम 3 या विनियम 14 के स्पष्टीकरण 2 के तहत, अग्रिम मंजूर करने केलिए अध्यक्ष या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशितानुसार एकमुश्त या मासिक किस्तों में एकमुश्त की कटौती करते हुए जो कि 12 महीने से ज्यादा की नहीं होगी, वसूली की जाएगी ।

बशर्ते कि इस तरह के अग्रिम की अनुमति देने से पहले, अंशदाता को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को लिखित रूप में और संचार प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर स्पष्टी देने का अवसर दिया जाएग कि चुकौती क्यों नहीं की जाएगी और यदि अंशदाता द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है तो 15 दिन की उक्त अवधि इसे निर्णय केलिए अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा और यदि उनके द्वारा उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अग्रिम की चुकौती इस उप–नियम में निर्धारित तरीके से लागू की जाएगी ।

(सा0का0नि0 427 (असाध0) दिनांकित 20/04/1992) के जरिए संशोधितानुसार का प्रावधान)

(4) इस विनियम के तहत की गई वसूली को निधि में अंशदाता के खाते में जमा किया जाएगा ।

(5) यदि यह पाया जाता है कि किसी अंशदाता ने आहरण की तिथि पर उसके खाते में जमा राशि से अधिक राशि का आहरण किया है तो अधिक आहरण राशि चाहे अग्रिम या निकासी के दौरान अधिक आहरण हुआ हो या निधि से अंतिम भुगतान उसके द्वारा ब्याज़ के साथ चुकाया जाएगा, उस पर एकमुश्त या डिफॉल्ट के रूप में होने से, अंशदाता की परिलब्धियों में से एकमुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश दिया जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली कुल राशि अंशदाताओं की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूली उसकी परिलब्धियों के हिस्से की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी, जब तक कि ब्याज़ सहित पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती। इस उप–विनियम केलिए उप–विनिमय 1 के तहत भविष्य निधि शेष पर सामान्य दर से अधिक आहरण राशि पर वसूला जाने वाला ब्याज़ दर 2½ प्रतिशत होगा। अधिक आहरण राशि पर प्राप्त ब्याज़ को सामान्य भविष्य में जमा किया जाएगा एक अलग उप–शीर्ष के तहत निधि खाता में अर्थात् अति–आहरित सामान्य भविष्य निधि अग्रिम पर दंडात्मक ब्याज़।

(सा0का0नि0427(असाध0) दिनांकित 20/04/1992) के जरिए जोडे गए अनुसार विनियम 5)

16 निधि का दुरूप्रयोग :

इन विनियमों में निहित किसी भी बात के साथ नहीं, यदि अध्यक्ष के पास संदेह करने का कारण है कि विनियम 14 के तहत निधि से अग्रिम के रूप में, आहरित धन का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य केलिए किया गया है, जिसके लिए धन के आहरण को मंजूरी दी गई

थी, तो अध्यक्ष अंशदाता को अपने संदेह के कारणों से अवगत कराएंगे और उसे लिखित रूप में और इस तरह के संचार की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर, यह बताने की आवश्यकता होगी कि क्या अग्रिम का उपयोग उस उद्देश्य केलिए किया गया है जिसके लिए धन की निकासी को मंजूरी दी गई थी। यदि अध्यक्ष 15 दिनों की उक्त अवधि के भीतर अंशदाता द्वारा प्रस्तुत योजना से संतुष्ट नहीं हैं तो स्वीकृति प्राधिकारी अंशदाता को संबंधित राशि को निधि में चुकाने का निर्देश देगें या डिफॉल्ट होने के रूप में आदेश देते हुए कटौती द्वारा वसूल की जाने वाली राशि को अंशदाता की परिलब्धियों में से एक मुश्त राशि भले ही वह छुट्टी पर हो। तथापि यदि आधे से अधिक अंशदाताओं की परिलब्धियों द्वारा चुकाई जाने वाली कुल राशि की वसूली मासिक किस्तों या उसकी परिलब्धियों के हिस्से में तब तक की जाएगी, जब तक कि उसके द्वारा पूरी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

टिप्पणी : – इस विनियम में शब्द 'परिलब्धि' में निर्वाह भत्ता शामिल नहीं होगा।

(सा0का0नि0427(असाध0) दिनांकित 20/04/1992) के जरिए प्रतिस्थापितानुसार विनियम)

17 निधि से प्रत्याहरण :

प्रत्याहरण के तहत यहाँ निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी भी समय विशेष कारणों से अग्रिम स्वीकृत करने के लिए विनियम 14 के उप–विनियम (3) के स्पष्टीकरण 2 के तहत, सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

(1) अंशदाता की बीस साल की सूवा (सेवा की खंडित अवधि, यदि कोई हो) के पूरा होने के बाद या सेवानिवृत्ति की तारीख से दस साल के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते से निम्नलिखित उद्देश्यों में एक या ज्यादा केलिए, अर्थात् :–

(ए) निम्नलिखित मामलों में, उच्च शिक्षा जिसमें जहाँ आवश्यक हो, अंशदाता या किसी बच्चे के यात्रा व्यय की लागत को चुकाना शामिल है, अर्थात् :–

(i) हाई स्कूल चरण से परे, शैक्षिक, तकनीकी पेशेवर या व्यावसायिक पाठ्यक्रम केलिए भारत से बाहर शिक्षा हेतु ; और

(ii) हाई स्कूल चरण से परे, भारत में किसी भी मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम केलिए बशर्ते कि अध्ययन का कोर्स 3 वर्ष से कम का न हो ; और

(iii) भारत में किसी भी मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम ;

टिप्पणी 1 : उपरोक्त उद्देश्य केलिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को भी तकनीकी/विशेषज्ञ माना जाएगा , अर्थात् :

1 होम साइन्स में उपाधि या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

2 मेडिसिन में पूर्व–पेशेवर पाठ्यक्रम अगर मेडिसिन में नियमित 5 वर्ष के पाठ्यक्रम का अगर एक हिस्सा होता है

3 बॉयोकेमिस्ट्रि में पीएच.डी

4 फिज़ीकल शिक्षा में उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि

5 विधि में उपाधि या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

6 'मैक्रो बायोलॉजी' में 'हॉनर्स पाठ्यक्रम'

7 असोशिएटशिप ऑफ द इन्सटिट्यूट ऑफ कॉस्ट्स एण्ड वर्कस् अकाउण्टेण्ट्स

8 असोशिएटशिप ऑफ द इन्सटिट्यूट ऑफ चाटर्ड आकाउण्टेण्ट

9 बिसनस अड्मिनिस्ट्रेशन या मेनेज़मेण्ट में उपाधि एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

10 होटल मेनेज़मेण्ट में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, और

11 सांख्यिकीय में एम.एससी पाठ्यक्रम

(बी) अंशदाता या उसके बेटे या बेटियों या उसपर वास्तविक रूप से निर्भर अन्य महिला रिश्ते की सगाई या शादी के सिलसिले में व्यय को पूरा करना ;

(सी) बीमारी के संबंध में खर्चों को पूरा करना, जिसमें जहाँ आवश्यक हो, अंशदाता और उसके परिवार के सदस्यों या वास्तव में उस पर निर्भर किसी भी व्यक्ति के यात्रा व्यय को पूरा करना ।

टिप्पणी 2 : विनियम 17 के तहत उप–विनियम (1) (ए) के उद्देश्यों केलिए हरेक छह माह में एक बार अंतिम आहरण करने की अनुमति दी जाएगी और हरेक ऐसे अवसर पर के आहरण को इस विनियम के उद्देश्यों केलिए एक अलग उद्देश्य के रूप में माना जाएगा । ''

(2) अंशदाता की 10 साल की सेवा पूरा होने के बाद या सदस्यता की सेवानिवृत्ति की तारीख से दस साल के भीतर और निम्नलिखित एक या ज्यादा के उद्देश्यों केलि निधि के अंशदाता के जमाखाते का बकाया और उसपर का ब्याज़, अर्थात् :–

(ए) साइट की लागत सहित उसके आवास केलिए उपयुक्त घर का निर्माण करना या अधिग्रहण करना या बने बनाए फ्लैट का अधिग्रहण करना या इस उद्देश्य केलिए विशेष रूप से लिए एग ऋण के कारणवश किसी भी बकाया राशि को चुकाना या अंशदाता द्वारा पहले से स्वामित्व वाले या अधिग्रहित घर में पुनर्निमाण/या परिवर्तन या परिवर्धन करना ।

(बी) इस उद्देश्य केलिए विशेष रूप से लिए गए ऋण के कारण एक घर का साइट खरीदना या किसी भी बकाया राशि का भुगतान करना।

(सी) खरीदी गई साइट पर घर बनाने केलिए खंड (ए) के तहत निकाली गई राशि का उपयोग करना ।

टिप्पणी 1 : विनियम 16 के तहत के एक ही उद्देश्य केलिए सिर्फ एक ही आहरण की अनुमति होगी। लेकिन विभिन्न अवसरों पर की बीमारी या विभिन्न बच्चों की शादी/शिक्षा को, एक ही उद्देश्य होने के रूप में नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी 2 : विनिसम 16 के तहत के आहरण को मंजूरी नहीं दी जाएगी, अगर विनियम 14 के तहत, उसी समय पर, उसी उद्देश्य केलिए अग्रिम की मंजूरी दी गई हो।

(सा0का0नि0 910 (असाध0) दिनांकित 23/10/1989 के जरिए संशोधितानुसार पूरा हुआ वर्ष)

(3) इस विनियम के तहत आंशिक अंतिम आहरण की अनुमति देने केलिए सक्षम प्राधिकारी, यदि सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने के भीतर, अंशदाता द्वारा उसके जमाखाते के शेष का 90 प्रतिशत तक आंशिक अंतिम आहरण करने का आवेदन करता है, मंजूरी दे सकता है। यह सुविधा, अंशदाता को केवल एक बाद ही उपलब्ध होगी। अंशदाता को इस तरह के अंतिम आहरण करने केलिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले अंशदाता को, तथापि ऐसे आहरण की राशि को, वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग की अधिसूचना नं0 एफ–2/3/89–एनएस ।।, दिनांकित 07/06/1989 के जरिए आरंभ की गई नई बचत योजना में निवशे करने के पात्र नहीं होंगे।

(4) (1) कर्मचारी जिसने 15 साल की सेवा पूरी कर ली है (सेवा की टूटी हुई अवधि, यदि कोई हो) या जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने केलिए 5 वर्ष से कम है, उन्हें मोटर कार, मोटर साइकिल या स्कूटर..... इत्यादि खरीदने और निम्नलिखित शर्तों के बशर्ते की उद्देश्य केलिए उनके द्वारा पहले से ही लिया गया सरकारी ऋण को पुनःचुकाने केलिए उनके भविष्य निधि से आंशिक अंतिम आहरण करने की अनुमति दी जा सकती है।

(i) मोटर कार की खरीद के मामले में कर्मचारी का मूल वेतन रु 3000/– प्रति माह या ज्यादा होना चाहिए और मोटर

साइकिल/स्कूटर की खरीद के मामले में रु 1500/– प्रति माह या ज्यादा होना चाहिए । (विशेष वेतन के बगैर एफआर 9 (21) (ए) (i) में परिभाषितानुसार मूल वेतन और वेतन की कुछ अन्य शर्ते लेकिन एनपीए सहित)

(ii) मोटर कार की खरीद केलिए आहरण की राशि रु 50,000/– है और मोटर साइकिल/स्कूटर .... इत्यादि की खरीद केलिए राशि रु 8,000/– है। आहरण की ऐसी राशि के साथ सवारी भत्ता, अगर कोई, वाहन के लागत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

(iii) अध्यक्ष, विशेष मामलों में, उन कर्मचारियों के मामले में, 36 किस्तों से अधिक नहीं की अग्रिम वापसी की अनुमति दे सकते हैं, जो 6 महीने से अधिक नहीं की अवधि केलिए 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा से कम हो सकते हैं।बाकी अन्य सभी शर्ते शिथिल नहीं की जाएगी।

(iv) जिन कर्मचारियों को, उपरोक्त खंड (iii) के अनुसार, अग्रिम की अनुमति दी गई है, उन्हें 15 साल की सेवा पूरी होने के बाद, अग्रिम की बकाया राशि को अंतिम आहरण में बदलने की अनुमति दी जा सकती है।

(v) ऐसे आहरण की अनुमति एक अवसर पर दी जाएगी।

(2) संबंधित भविष्य निधि विनियमों के तहत विशेष कारणों से अग्रिम मंजूर करने केलिए सक्षम प्राधिकारी, इन आदेशों के अनुसार अंतिम आहरण की मंजूरी दे सकते हैं, बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाए। प्रक्रित्यात्मक विवरण, अन्य आहरण के मामले में होगा।

(5) (1) जिन कर्मचारियों ने 28 साल की सेवा पूरी कर ली है या जिनके पास सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने केलिए 3 वर्ष से कम है, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपनी मोटर कार की व्यापक मरम्मत या ओवरहॉलिंग केलिए भविष्य निधि से अंतिम आहरण करने की अनुमति दी जा सकती है।

(i) कर्मचारी का वेतन रु 1000/– प्रति माह या ज्यादा है।

(ii) आहरण की राशि, सामान्य भविष्य निधि में अंशदाता के खाते में जमा राशि के रु 5000/– या एक तिहाई या मरम्मत /ओवरहॉलिंग की वास्तविक राशि, जो भी कम से कम हो, तक सीमित है।

(iii) संबंधित कर्मचारियों द्वारा कार खरीदे जाने के बाद से, कम से कम 5 वर्ष बीत जाने चाहिए। सेकेंड हैंड कार के मामले में, पहले खरीददार द्वारा खरीद की प्रारंभिक तारीख को ध्यान में रखा जाएगा।

(iv) ऐसे आहरण की अनुमति, अंशदाता के सेवा काल में केवल एक बार दी जाएगी।

(2) संबंधित भविष्य निधि विनियमों के तहत विशेष कारणों से अग्रिम स्वीकृत करने केलिए सक्षम प्राधिकारी इन आदेशों के अनुसार अंतिम आहरण को मंजूरी दे सकते हैं, बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाए। प्रक्रित्यात्मक विवरण, अन्य आहरण के मामले में होगा।

(6) (1) जिन कर्मचारियों ने 15 साल की सेवा पूरी कर ली है (सेवा की खंडित अवधि यदि कोई हो सहित) को मोटर कार /मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड.... आदि की बुकिंग करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के बशर्तें, अपने भविष्य निधि से आंशिक अंतिम आहरण करने की अनुमति दी जा सकती है।

(ए) मोटर कार के पंजीकरण केलिए कर्मचारियों का मूल वेतन रु 3,500/– प्रति माह या उससे अधिक और मोटर साइकिल/स्कूटर... आदि के मामले में मूल वेतन रु 1500/– प्रति माह या उससे अधिक है (विशेष वेतन, महंगाई वेतन और वेतन की अन्य ऐसे शर्तों, लेकिन एनपीए शामिल है, के बगैर एफआर 9 (21) (ए) (i) में परिभाषितानुसार मूल वेतन) ।

(बी) आहरण की राशि, कार के मामले में रु 10,000/– और मोटर साइकिल/स्कूटर... आदि के मामले में रु 500/– या सामान्य भविष्य निधि में अंशदाता के जमा खाते में बकाया राशि का 50 प्रतिशत या कार या मोटर साइकिल/स्कूटर... आदि के पंजीकरण की वास्तविक राशि, जो भी कम हो, है।

(सी) आहरण की राशि, कार या मोटर साइकिल या स्कूटर.... आदि की बुकिंग केलिए आवश्यक राशि से अधिक नहीं होगी।

(डी) आहरण के तरीख से एक महीने के अवधि के भीतर, संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु जमा रसीद प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसा न करने पर, आहरण की कुल राशि की वसूली शामिल होगी।

(ई) यदि कोई अधिकारी कार, मोटर साइकिल,स्कूटर... आदि नहीं खरीदता है या योजना से बाहर हो जाता है तो उसे

निर्माता/डीलर से ब्याज सहित अंतिम आहरण की राशि को तुरंत सामान्य भविष्य निधि के खाते में जमा करनी चाहिए।

(एफ) अध्यक्ष, विशेष मामलों में, उन कर्मचारियों के मामले में, 36 किस्तों से अधिक नहीं की अग्रिम वापसी की अनुमति दे सकते हैं, जो 6 महीने से अधिक नहीं की अवधि केलिए 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा से कम हो सकते हैं।बाकी अन्य सभी शर्ते में ढ़ील नहीं दी जाएगी।

(जी) जिन कर्मचारियों को, उपरोक्त खंड (एफ) के अनुसार अग्रिम की अनुमति दी गइ है, उन्हें 15 साल की सेवा पूरी होने के बाद अग्रिम की बकाया राशि को अंतिम आहरण में बदलने की अनुमति दी जा सकती है।

(एच) ऐसे आहरण की अनुमति केवल एक अवसर पर दी जाएगी ; और

(आई) रु 10,000 या रु 500 की रकम, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा सकता है, को सामान्य भविष्य निधि से आहरण करने केलिए वर्तमान में निर्धारित समग्र सीमा का निर्धारण करने केलिए ध्यान रखा जाएगा।

(2) संबंधित भविष्य निधि विनियमों के तहत विशेष कारणों से अग्रिम मंजूर करने केलिए सक्षम प्राधिकारी, इन आदेशों के अनुसार अंतिम आहरण की मंजूरी दे सकते हैं, बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाए। प्रक्रित्यात्मक विवरण, अन्य आहरण के मामले में होगा।

(सा0का0नि0 427 (असाध0) दिनांकित 20/04/1992 के जरिए जोडे गए अनसुार विनियम 3,4 एवं 5)

18 आहरण की शर्तें :

(1) अंशदाता द्वारा किसी भी समय विनियम 17 में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों केलिए निधि में उसके खाते में जमा राशि से आहरण की गई राशि, सामान्यतया ऐसी राशि के आधे या छह महीने के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। हालाँकि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी, इस सीमा से अधिक राशि के आहरण को निधि में उसके खाते में जमा शेष राशि की तीन–चौथाई तक की मंजूरी दे सकते हैं (i) जिस उद्देश्य केलिए आहरण किया जा रहा है ; (ii) अंशदाता का स्टेटस ; (iii) निधि में उसके जमा खाते की राशि।

(2) अंशदाता, जिसे विनियम 17 के तहत धन की निकासी की अनुमति दी गई है को उस प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उचित अवधि के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को संतुष्ट करेगा कि धन का उपयोग उस उद्देश्य केलिए किया गया है, जिसके लिए इसे निकासी की गई थी और यदि वह ऐसा करने में विफल होता है तो इस प्रकार निकाली गई पूरी राशि या उसमें से इतनी राशि,जिसे ऐसे उद्देश्यों केलिए लागू नहीं किया गया है, जिसके लिए इसे

निकाला गया था, तो अंशदाता द्वारा विनियम 11 के तहत निर्धारित दर पर ब्याज के साथ एकमुश्त रकम को तुरंत चुकाया जाएगा। निधि में और इस तरह के भुगतान में चूक होने पर, स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसकी परिलब्धियों से या तो एकमुश्त या इतनी मासिक किश्तों की वसूली करने का आदेश दिया जाएगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(3) अंशदाता, जिसे विनियम 17 के उप–विनियम 2 के तहत निधि में अपने क्रेडिट में जमा राशि से पैसे निकालने की अनुमति दी गई है, इस तरह से बनाए गए या अधिग्रहित या खरीदे गए घर की साइट के कब्ज़े का हिस्सेदार नहीं होगा। स्वीकृति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बगैर बिक्री, गिरवी (स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को गिरवी रखने के अलावा) या उपहार को, स्वीकृति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना तीन वर्ष से अधिक की अवधि केलिए विनियम या पट्टे के माध्यम से ऐसे घर या गृह स्थल के कब्ज़े का हिस्सेदार नहीं होगा। अंशदाता को इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह उसी वर्ष के दिसंबर के 31 दिन से पहले इस आशय का एक घोषणापत्र प्रस्तुत करेगा कि क्या घर या गृह स्थल, जैसा भी मामला हो, उसके कब्ज़े में बना हुआ है या गिरवी रखा गया है या अन्यथा सीनांतरित कर दिया गया है और करेगा, यदि ऐसा आवश्यक है, तो स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष या उस प्राधिकरण द्वारा उस संबंध में निर्दिष्ट तिथि से पहले, मूल बिक्री विलेख और अन्य दस्तावेज़, जिस पर संपत्ति केलिए उसका टाइटल आधारित है, प्रस्तुत करें।

(4) अगर सेवानिवृत्ति से पूर्व, किसी भी समय, अंशदाता स्वीकृति प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किए गए बिना मकान या मकान सलि पर कब्ज़ा कर लेता है, तो उसके द्वारा निकाली गई राशि को एकमुश्त निधि में वापस कर दिया जाएगा और इस तरह के पुनर्भगतान में चूक होने पर, इसे स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसकी परिलब्धियों से या तो एकमुश्त या बोर्ड द्वारा निर्धारित मासिक किश्तों की संख्या में वसूल करने का आदेश दिया जाएगा।

19 अग्रिम को निकासी में परिवर्तन करना :

अंशदाता, जो पहले से ही विनियम 14 के तहत, विनियम 17 के इस तरह के विनियम (1) में निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य केलिए अग्रिम आहरित कर सकता है या प्राप्त कर सकता है, अपने विवेक पर स्वीकृति प्राधिकारी के माध्यम से, लेखा अधिकारी को संबोधित एक लिखित अनुरोध द्वारा परिवर्तित कर सकता है ; विनियम 17 एवं 18 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर अंतिम निकासी में इसके खिलाफ का बकाया राशि।

टिप्पणी 1 : अंशदाता के मामले में, कार्यालय के प्रमुख को प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा वेतन बिलों से वसूली रोकने केलिए कहा जा सकता है, जब उस प्राधिकरण द्वारा इस तरह के रूपांतरण केलिए आवेदन लेखा अधिकारी को भेजा जाता है।

टिप्पणी 2 : विनियम 18 के उप विनियम (1) के प्रयोजनार्थ रूपांतरण के समय, अंशदाता के खातें में जमा ब्याज़ के साथ सदस्यता की राशि और अग्रिम की बकाया राशि को शेष के रूप में लिया जाएगा। प्रत्येक निकासी को एक अलग माना जाएगा और एक से अधिक रूपांतरण की स्थिति में एक ही सिद्धांत लागू होगा।

(सा0का0नि0 427 (असाध0) दिनांकित 20/04/1992 के जरिए प्रतिस्थापितानुसार विनियम)

20 बीमा नीतियों और परिवार पेन्शन निधियों की ओर भुगतान :

अंशदाता, जो 17 दिसंबर, 1960 से पहले, सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 के विनियम 17 से 29 तक के प्रावधानों के तहत, निधि से इस तरह के भुगतान के लिए निकासी करने हेतु जीवन बीमा की पॉलिसियों केलिए पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिस्थापन कर रहें हैं, के लिए उसी शर्तों एवं उपबंधों के तहत लाभ का आनंद उठाते हुए भुगतान जारी रहेगा।

बशर्ते कि ऐसे अंशदाताओं को किसी भी नई नीति के संबंध में, इस तरह के भुगतान को निधि के कारण, सदस्यता केलिए स्थानापन्न करने या इस तरह के भुगतान केलिए निधि से निकासी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्तें कि उक्त नियमों के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गई कोई भी नीति इन विनियमों के प्रारंभ होने पर, बोर्ड को सौंपी गई नीति मानी जाएगी। ऐसी नीतियों को बोर्ड को सौंपने केलिए अंशदाता तत्काल कदम उठाएंगे।

21 निधि में संचय की अंतिम निकासी

जब कोई अंशदाता सेवा छोडता है तो कोष में उसके खाते में जमा राशि उसे देय हो जाएगी :

बशर्ते कि एक अंशदाता, जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है बाद में सेवा में बहाल कर दिया गया है, यदि बोर्ड द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होती है, तो उसे इस विनियम के अनुसरण में निधि से भुगतान की गई किसी भी राशि को, विनियम 12 में प्रबंधानुसार, उस दर पर ब्याज़ के साथ चुकाना होगा, जैसे कि विनियम 22 के प्रावधान में प्रदान किए गए तरीके के जैसे प्रदान किया गया है। इस प्रकार चुकाई गई राशि निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1 : अंशदाता जिसे अस्वीकृत अवकाश प्रदान किया जाता है, को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि से या सेवा के विस्तार की समाप्ति पर सेवा छोड दिया माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 : अंशदाता जो अनुबंध पर नियुक्त किया गया है या जो सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है और बाद में सेवा में ब्रेक के साथ या बिना सेवा में फिर से नियुक्त किया गया है, को सेवा में बिना किसी ब्रेक के सीनांतरित किए जाने पर सेवा छोडने के बारे में नहीं समझा जाएगा। किसी अन्य महा पत्तन प्राधिकरण के तहत, नया पद (जिसमें वह भविष्य निधि नियमों के दूसरे सेट द्वारा शासित होता है) और अपने पूर्व पद के साथ कोई संबंध बनाए बिना। ऐसी स्थिति में उसका अंशदान उस पर ब्याज़ सहित अन्य निधि में उसके खाते में, उस निधि के नियमों के अनुसार अंतरित कर दिया जाएगा। बोर्ड के तहत या किसी अन्य महा पत्तन प्राधिकरण के तहत तत्काल रोज़गार केलिए छंटनी के मामलों में वही लागू होगा।

स्पष्टीकरण 3 : जब अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई अन्य अंशदाता या जो सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है, और बाद में फिर से नियुक्त किया गया है, बिना किसी ब्रेक के, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रित निकाय के तहत सेवा में सीनांतरित किया जाता है, सदस्यता की राशि के साथ उस पर ब्याज़ का भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन उस निकाय की सहमति से उस निकाय के तहत उसके नए भविष्य निधि खाते में सीनांतरित कर दिया जाएगा।

2 तबादलों में बिना किसी ब्रेक के और बोर्ड की उचित अनुमति के बिना सरकार के स्वामित्व वाली या सरकार द्वारा नियंत्रित या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन के तहत नियुक्ति लेने केलिए सेवा से इस्तीफे के मामले शामिल होंगे। किसी नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने में लगने वाले समय को सेवा में विराम नहीं माना जाएगा, यदि यह एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण पर किसी कर्मचारी केलिए स्वीकार्य कार्यग्रहण समय से अधिक न हो।

बशर्ते कि सार्वजनिक उद्यमों के तहत सेवा केलिए चयन करने वाले अंशदाता की सदस्यता की राशि के साथ ब्याज़ सहित हस्तांतरण यदि वह चाहे, तो उद्यम के तहत उसके नए भविष्य निधि खाते में सीनांतरित किया जा सकता है, यंदि संबंधित उद्यम भी इस तरह के हस्तांरण के लिए सहमत है। हालांकि यदि अंशदाता हस्तांतरण की इच्छा नहीं रखता है या संबंधित उद्यम भविष्य निधि का संचालन नहीं करता है तो उक्त राशि अंशदाता को वापस कर दी जाएगी।

22 अंशदाता की सेवानिवृत्ति

जब कोई अंशदाता सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी पर चला गया हो या छुट्टी पर रहते हुए उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई हो या किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो तो उसके द्वारा किए गए आवेदन पर, निधि में उसके खाते में जमा राशि उस संबंध में लेखा अधिकारी की ओर से अंशदाता को देय हो जाते हैं।

बशर्ते कि अंशदाता यदि वह ड्यूटी पर लौटता है जहाँ बोर्ड अन्यथा निर्णय लेता है को छोडकर इस विनियम के अनुसरण में निधि से भुगतान की गई किसी भी राशि को उसके खाते में जमा करने के लिए उस पर ब्याज़ के साथ निधि को चुकाना होगा। विनियम 12 में नकद या प्रतिभूतियों में या आंशिक रूप में नकद और प्रतिभूतियों में , किश्तों में या अन्यथा उसकी परिलब्धियों से वसूली द्वारा या अन्यथा जैसे कि अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

23 अंशदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया

अंशदाता की मृत्यु पर, उसके खाते में जमा राशि देय होने से पहले या जहाँ राशि देय हो गई है, भुगतान किए जाने से पहले :

(i) जब अंशदाता परिवार छोड देता है :

(ए) यदि अंशदाता द्वारा किसी सदस्य या उसके परिवार के सदस्यों के पक्ष में पहले से लागू विनियम 6 या संबंधित विनियम के प्रावधानों के अनुसार, नामांकन किया जाता है, तो निधि या उसके हिस्से में उसके खाते में जमा राशि नामांकन से संबंधित नामांकन में निर्दिष्ट अनुपात में उसके नामांकित व्यक्ति या नामांकित व्यक्तियों को देय होगा।

(बी) यदि किसी सदस्य या सदस्य के परिवार के सदस्यों के पक्ष में इतना नामांकन होता है या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके जमा राशि के केवल एक हिस्से

से संबंधित है तो पूरी राशि या उसका एक हिस्सा जिसमें नामांकन होता है, संबंधित नहीं हैं, जैसा भी मामला हो, किसी भी नामांकन के साथ नहीं होगा, जो किसी सदस्य या उसके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में हो, समान शेयरों में उसके परिवार के सदस्यों को देय हो।

बशर्ते कि कोई शेयर देय नहीं होगा :

(1) पुत्र जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है

(2) एक मृत पुत्र के पुत्र जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है

(3) विवाहित बेटियां जिनके पति जीवित हैं

(4) एक मृत पुत्र की विवाहित बेटियां जिनके पति जीवित हैं

खंड (1), (2), (3) एवं (4) में निर्दिष्टानुसार के अलावा परिवार का कोई सदस्य है :

बशर्ते कि मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं, बच्च या बच्चों को उनके बीच समान भागों में केवल वही शेयर प्राप्त करेंगे, जो उस पुत्र को प्राप्त होता यदि वह अंशदाता के जीवित रहने पर और खंड (1) के पहले प्रावधानों से मुक्त हो जाता।

(ii) जब अंशदाता कोई परिवार नहीं छोडता :

यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में,पहले से लागू नियम 6 या संबंधित नियम के प्रावधानों के अनुसार, उसके द्वारा किया गया नामांकन नहीं रहता है तो निधि या उसके हिस्से में उसके खाते में जमा राशि, जिससे नामांकन संबंधित है, नामांकन में निर्दिष्ट अनुपात में उसके नामांकित व्यक्ति या नामांकित व्यक्तियों को देय होगा।

टिप्पणी : एक हिन्दू विधवा/विधुर कानूनी नामांकित व्यक्ति हैं और उसे मृतक पति/पत्नी की ओर से भविष्य निधि की राशि प्राप्त करने का अधिकार देने केलिए अदालत के किसी भी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

(iii) जब कोई कर्मचारी अपने परिवार को छोडकर गायब हो जाता है तो परिवार को पहले पल में देय वेतन की राशि, देय छुट्टी नकदीकरण और कर्मचारी द्वारा किए गए नामांकन के संबंध में देय वेतन की राशि का भुगतान किया जा सकता है और एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, अन्य लाभ जैसे कि डीसीआरजी/पारिवारिक पेंशन भी परिवार को दी जा सकती है, बशर्ते कि आगामी पैराग्राफों में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाए।

उपरोक्त लाभ निम्नलिखित और औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, स्वीकृत किए जा सकते हैं :

(i) परिवार को संबंधित पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए और एक रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सभी प्रयासों के बाद कर्मचारी का पता नहीं लगाया गया है।

(ii) कर्मचारी के नामित/आश्रितों से एक क्षतिपूर्ति बाण्ड लिया जाना चाहिए कि सभी भुगतान कर्मचारी को देय भुगतान के खिलाफ समायोजित किए जाएंगे यदि वह घटनास्थल पर उपस्थित होता है और कोई दावा करता है।

भविष्य निधि विनियम के तहत एक अंशदाता के भविष्य निधि शेष पर सेवा छोड़ने की तारीख से 6 महीने की अवधि तक ब्याज़ बनाया जा सकता है (जीपीएफ विनियम के विनियम 12 (4) । तदनुसार ब्याज़ को 6 महीने तक की अनुमति दी जा सकती है। पुलिस विभाग से परिवार द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि कि पुलिस द्वारा सभी प्रयासों के बाद भी कर्मचारी का पता नहीं लगाया गया है।

(सा0का0नि0 427 (असाध0) दिनांकित 20/04/1992 के जरिए जोड़े गए अनुसार विनियम)

24 निधि में राशि के भुगतान की पद्धति

(1) जब निधि में अंशदाता के खाते में जमा राशि देय हो जाती है, तो लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में लिखित आवेदन प्राप्त होने पर भुगतान करे जैसा कि उप–विनियम (3) में प्रदान किया गया है।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसे इन विनियमों के तहत किसी राशि या पॉलिसी का भुगतान , आबंटन या वितरण किया जाना है, एक पागल है जिसकी संपत्ति केलिए भारतीय पागलपन अधिनियम , 1912 के तहत इस संबंध में एक प्रबंधक नियुक्त किया गया है, भुगतान या पुनर्मूल्यांकन या वितरण ऐसे प्रबंघक को बनाया जाएगा और न कि पागल जो जाएगा।

बशर्ते कि जहां कोई प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया है और जिस व्यक्ति को राशि देय है, उसे मेजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणि किया जाता है, भुगतान कलेक्टर के आदेश के तहत भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा 95 की उप धारा (1) की शर्तों के अनुसार किया जाएगा या उस समय में लागू कोई अन्य कानून , ऐसे पागल के प्रभारी व्यक्ति को और जो केवल उस राशि का भुगतान करेगा, जो वह उस व्यक्ति को उचित समझता है जिसके पास पागल और अधिशेष का प्रभार है, यदि पागल परिवार के ऐसे सदस्यों के भरण–पोषण के लिए भुगतान किया जाएगा , जो भरण पोषण केलिए उस पर निर्भर है।

(3) कोई भी व्यक्ति जो इस विनियम के तहत भुगतान का दावा करना चाहता है, वह इस संबंध में लेखा अधिकारी को एक लिखित आवेदन भेजेगा कि निकाली गई राशि का भुगतान केवल भारत में किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को राशि देय है, वे भारत में भुगतान प्राप्त करने केलिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे।

(4) (i) अंशदाता सेवानिवृत्ति की तारीख या सेवानिवृत्ति की प्रत्याशित तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले निधि में राशि के भुगतान केलिए विभाग के प्रमुख के माध्यम से लेखा अधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। निधि में उसके खाते में जमा राशि केलिए आवेदन किया जा सकता है, जैसा कि उसकी सेवानिवृत्ति या

सेवानिवृत्ति की प्रत्याशित तारीख से एक वर्ष पहले समाप्त होने वाले वर्ष केलिए लेखा विवरण में दर्शाया गया है।

(ii) विभागाध्यक्ष, लेखा अधिकारी को आवेदन अग्रप्रेषित करेगा, जिसमें अग्रिमों के विरूद्ध किए गए अग्रिमों और वसूलियों को दर्शाया जाएगा, जो अभी भी चालू हैं और प्रत्येक अग्रिम के संबंध में अभी तक वसूल की जाने वाली किश्तों की संख्या और अंशदाता द्वारा ली गई निकासी यदि कोई हो, को भी इंगित करेगा।

(iii) लेखा अधिकारी खाता बही से सत्यापन के बाद, सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले आवेदन में इंगित राशि केलिए, एक प्राधिकरण जारी करेगा, लेकिन अधिवार्षिता की तारीख पर देय होगा।

(iv) खंड (iii) में उल्लिखित प्राधिकरण भुगतान की पहली किश्त का गठन करता है। भुगतान केलिए दूसरा प्राधिकरण अधिवार्षिता या सेवानिवृत्ति के बाद, यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। यह खंड (i) के तहत जमा किए गए आवेदन में उल्लिखित राशि के बाद अंशदाता द्वारा किए गए योगदान से संबंधित होगा, साथ ही अग्रिमों के खिलाफ किश्तों की वापसी, जो पहले आवेदन के समय चालू थी।

(v) लेखा अधिकारी को अंतिम भुगतान के लिए आवेदनों को अग्रेषित करने के बाद, स्वीकृत अग्रिम/निकासी की सूचना लेखा अधिकारी को तुरंत दी जाएगी और स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा पावती प्राप्त की जाएगी।

25 किसी भी कर्मचारी को एक महा पत्तन से दूसरे में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया

यदि कोई कर्मचारी जो निधि का अंशदाता है,जो स्थायी रूप से किसी अन्य महा पत्तन में पेंशन योग्य सेवा में स्थानांतरित कर दिया जाता है, वहां वह इन विनियमों के समान विनियमों द्वारा शासित होता है, तो सदस्यता की राशि उस पर ब्याज़ के साथ – साथ निधि में उसके नामें जमा केलिए मान्य होता है, को स्थानांतरण की तारीख पर, ऐसे महा पत्तन की निधि में उसके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि जहां नियमों की आवश्यकता हो, वहां संबंधित महा पत्तन प्राधिकरण की सहमति प्राप्त की जाएगी।

26 अंशदायी भविष्य निधि को राशि का अंतरण

यदि निधि के अंशदाता को बाद में बोर्ड के अधीन अंशदायी भविष्य निधि के लाभ में प्रवेश दिया जाता है, तो निधि में उसके अंशदान की राशि, उस पर ब्याज़ सहित, अंशदायी भविष्य निधि में उसके खाते में जमा कर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण : इन विनियमों के प्रावधान किसी ऐसे अंशदाता पर लागू नहीं होंगे जो अनुबंध पर नियुक्त हैं या जो सेवा से सेवसनिवृत्त हो गया है और बाद में अंशदायी भविष्य निधि लाभ वाले किसी अन्य पद पर सेवा में ब्रेक के साथ या बिना, फिर से नियोजित किया गया है।

27 अलग–अलग मामलों में प्रावधानों और विनियमों में छूट

जब बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि इन विनियमों में से किसी के संचालन से किसी अंशदाता को अनुचित कठिनाई होती है, या होने की संभावना है, तो बोर्ड इन नियमों में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद ऐसे अंशदाता के मामले में इस तरह से निपट सकता है जैसे उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो सकता है।

28 अंशदान के भुगतान के समय उद्धृत किए जाने वाले खाते की संख्या

भारत में अंशदान का भुगतान करते समय या तो परिलब्धियों में से कटौती करके या नकद में, एक अंशदाता निधि में अपने खाते की संख्या को उद्धृत करेगा जो उसे लेखा अधिकारी द्वारा सूचित किया जाएगा। संख्या में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना लेखा अधिकारी द्वारा अंशदाता को समान रूप से दी जाएगी।

29 अंशदाताओं को आपूर्ति किए जाने वाले खातों का वार्षिक विवरण

(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद, जितनी जल्दी हो सके, लेखा अधिकारी, प्रत्येक अंशदाता को, निधि में अपने खातों का एक विवरण भेजेगा, जिसमें वर्ष के 1 अप्रैल को शुरूआती शेष राशि एवं वर्ष और तारीख 31 मार्च को जमा की गई अंतिम शेष की कुल राशि को दर्शाया जाएगा। लेखा अधिकारी खातों के विवरण के साथ एक पूछताछ संलग्न करेगा कि क्या अशदाता :

(ए) कि विनियम 6 के तहत या पहले से लागू संबंधित विनियम के तहत किए गए किसी भी नामांकन में कोई भी परिवर्तन करने की इच्छा रखता है ;

(बी) ऐसे परिवार का अधिग्रहण किया है, जहां अंशदाता के पास विनियम 6 के तहत अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामांकन नहीं है ।

(2) अंशदाता वार्षिक विवरण की सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगे और वे उनके द्वारा विवरण प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर लेखा अधिकारी के ध्यान में ऐसे बयानों में किसी भी अशुद्धि या त्रुटि को लाएंगे ।

(3) लेखा अधिकारी, यदि एक अंशदाता द्वारा एक वर्ष में एक बार से अधिक नहीं बल्कि पिछले महीने के अंत में निधि में उसके क्रेडिट में जमा कुल राशि से एक बार से अधिक नहीं होगा, जो उसके खाते में लिखा गया है ।

30 जमा से जुडी बीमा योजना

अंशदाता की मृत्यु पर, अंशदाता के खाते में जमा राशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को लेखा अधिकारी द्वारा ऐसे अंशदाता विषय की मृत्यु से ठीक पहले के 3 वर्षों के दौरान खाते में औसत शेष के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि –

(ए) ऐसे अंशदाता के खाते में शेष राशि किसी भी समय मृत्यु के महीने से पहले के 3 वर्षों की सीमा से कम नहीं होगी :

(i) रुपया 4000, उस अंशदाता के मामले में, जिसने 3 वर्ष की उपरोक्त अवधि के अधिक से अधिक हिस्से केलिए एक पद धारण किया है, जिसका अधिकतम वेतनमान रु 1300 या अधिक है।

(ii) रुपया 2500, उस अंशदाता के मामले में, जिसने 3 वर्ष की उपरोक्त अवधि के अधिक से अधिक हिस्से केलिए एक पद धारण किया है, जिसका अधिकतम वेतनमान रु 900 या अधिक है लेकिन रु 1300 से कम है।

(iii) रुपया 1500, उस अंशदाता के मामले में, जिसने 3 वर्ष की उपरोक्त अवधि के अधिक से अधिक हिस्से केलिए एक पद धारण किया है, जिसका अधिकतम वेतनमान रु 290 या अधिक है लेकिन रु 900 से कम है।

(iv) रुपया 1000, उस अंशदाता के मामले में, जिसने 3 वर्ष की उपरोक्त अवधि के अधिक से अधिक हिस्से केलिए एक पद धारण किया है, जिसका अधिकतम वेतनमान रु 290 से कम नहीं है।

(बी) इस नियम के तहत देय अतिरिक्त राशि रुपए 10000 से अधिक नहीं होगी।

(सी) अंशदाता ने मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्ष की सेवा की होनी है सहित पत्तन न्यास के गठन से पूर्व की पीएन सेवा ।

टिप्पणी 1: औसत शेष राशि की गणना मृत्यु होने वाले महीने से पहले के 36 महीनों में से प्रत्येक पर अंशदाता के क्रेडिट पर शेष राशि के आधार पर की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ ऊपर निर्धारित न्यूनतम शेष राशि की जाँच के लिए भी –

(ए) मार्च के अंत में शेष राशि में नियम 11 के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज़ शामिल होगा और

(बी) यदि उपरोक्त 36 महीनों में से अंतिम मार्च नहीं है, तो उक्त अंतिम महीने के अंत में शेष राशि में उस वित्तीय वर्ष की शुरूआत से अवधि के संबंधम में, ब्याज़ शामिल होगा जिसमें मृत्यु पिछले महीने के अंत तक होती है।

टिप्पणी 2: इस योजना के तहत भुगतान पूरे रुपयों में होगा। यदि देय राशि में रुपए का एक अंश शामिल है तो इसे निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 3: इस योजना के तहत देय कोई भी राशि बीमा राशि की प्रकृति में है और इसलिए भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 3 (1925 का अधिनियम 19) द्वारा दिया गया वैधानिक उत्पादन इस योजना के तहत देय राशि पर लागू नहीं होता है ।

टिप्पणी 4: कार्यकाल के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के मामले में और पुनः नियोजित, पेंशनभोगियों, पुनर्नियुक्ति की ऐसी नियुक्ति की तारीख से प्रदान की गई सेवा के मामलें में, जैसा भी मामला हो, इस नियम के उद्देश्य केलिए गिना जाएगा।

(सी) इस योजना अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है।

31 व्याख्या

यदि इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

फॉर्म – II

(विनियम 6 देखें)

नामांकन फॉर्म

1 यदि अंशदाता के पास परिवार है और वह यहां एक सदस्य को नामांकन करने की इच्छा रखता हैः

मैं, एत्दद्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को नामांकन करता हूँ, जो तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1978 के विनियम 2 (ई) में परिभाषितानुसार मेरे परिवार का एक सदस्य है, वह राशि प्राप्त करने केलिए जो राशि से पहले मेरी मृत्यु की स्थिति में निधि में मेरे खाते में जमा हो सकती है, देय हो गया हो या देय होने का भुगतान नहीं किया गया है।

नामांकित व्यक्ति का नाम और पता	अंशदाता के साथ संबंध	उम्र	आकस्मिकता जिसके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति /व्यक्तियों का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसे अंशदाता की पूर्व मृत्यु की स्थिति में नामिती का अधिकार पारित होगा
1	2	3	4	5

यह तारीख दिन 19 पर

दो गवाहों के हस्ताक्षर

1 अंशदाता का हस्ताक्षर

2

फॉर्म – III

(विनियम 6 देखें)

1 यदि अंशदाता के पास परिवार है और वह यहां एक से ज्यादा सदस्य को नामांकन करने की इच्छा रखता है:

मैं, एत्दद्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को नामांकन करता हूँ, जो तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1978 के विनियम 2 (ई) में परिभाषितानुसार मेरे परिवार का एक सदस्य है, वह राशि प्राप्त करने केलिए जो राशि से पहले मेरी मृत्यु की स्थिति में निधि में मेरे खाते में जमा हो सकती है,देय हो गया हो या देय होने का भुगतान नहीं किया गया है और निर्देश देते हैं कि भुगतान की गई राशि उक्त व्यक्ति के बीच उनके नाम के सामने दर्शाए गए तरीके से वितरित की जाएगी।

नामांकित व्यक्ति का नाम और पता	अंशदाता के साथ संबंध	उम्र	प्रत्येक को भुगतान किए जाने वाले संचय के हिस्से की राशि	परेषिती जिसके घटित होने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	उस व्यक्ति /व्यक्तियों का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसे अंशदाता की पूर्व मृत्यु की स्थिति में नामिती का अधिकार पारित होगा
1	2	3	4	5	6

यह तारीख दिन 19 पर

दो गवाहों के हस्ताक्षर

1 अंशदाता का हस्ताक्षर

2

टिप्पणी : इस कॉलम को इस तरह से भरा जाना चाहिए कि किसी भी समय निधि में अंशदाता के खाते में जमा होने वाली पूरी राशि को कवर किया जा सके।

फॉर्म – IV

(विनियम 6 देखें)

1 यदि अंशदाता का कोई परिवार नहीं है और वह यहां एक सदस्य को नामांकन करने की इच्छा रखता हैः

मैं, एत्दद्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को नामांकन करता हूँ, जो तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1978 के विनियम 2 (ई) में परिभाषितानुसार मेरे परिवार का एक सदस्य है, वह राशि प्राप्त करने केलिए जो राशि से पहले मेरी मृत्यु की स्थिति में निधि में मेरे खाते में जमा हो सकती है,देय हो गया हो या देय होने का भुगतान नहीं किया गया है ।

नामांकित व्यक्ति का नाम और पता	अंशदाता के साथ संबंध	उम्र	प्रत्येक को भुगतान किए जाने वाले संचय के हिस्से की राशि	आकस्मिकताएँ	उस व्यक्ति /व्यक्तियों का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसे अंशदाता की पूर्व मृत्यु की स्थिति में नामिती का अधिकार पारित होगा
1	2	3	4	5	6

1

2

3

यह तारीख दिन 19 पर

दो गवाहों के हस्ताक्षर

1 अंशदाता का हस्ताक्षर

2

टिप्पणी : जहां एक अंशदाता, जिसका कोई परिवार नहीं है, नामांकन करता है, वह इस कॉलम में निर्दिष्ट करेगा कि उसके बाद में एक परिवार प्राप्त करने की स्थिति में नामांकन अमान्य हो जाएगा।

फॉर्म – V

(विनियम 6 देखें)

1 यदि अंशदाता का कोई परिवार नहीं है और वह यहां एक सदस्य को नामांकन करने की इच्छा रखता है:

मैं, एत्दद्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को नामांकन करता हूँ, जो तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1978 के विनियम 2 (ई) में परिभाषितानुसार मेरे परिवार का एक सदस्य है, वह राशि प्राप्त करने केलिए जो राशि से पहले मेरी मृत्यु की स्थिति में, उक्त व्यक्तियों को उनके नाम के सामने नीचे दर्शाए गए तरीके से, उक्त राशि के बीच वितरित की जाएगी।

नामांकित व्यक्ति का नाम और पता	अंशदाता के साथ संबंध	उम्र	प्रत्येक को भुगतान किए जाने वाले संचय के हिस्से की राशि	आकस्मिकताएँ जिसके घटित होने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	उस व्यक्ति /व्यक्तियों का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसे अंशदाता की पूर्व मृत्यु की स्थिति में नामिती का अधिकार पारित होगा
1	2	3	4	5	6

यह तारीख दिन 19 पर

दिनांकित :

दो गवाहों के हस्ताक्षर

1 अंशदाता का हस्ताक्षर

2

टिप्पणी : इस कॉलम को इस तरह से भरा जाना चाहिए कि किसी भी समय निधि में अंशदाता के खाते में जमा होने वाली पूरी राशि को कवर किया जा सके।

****टिप्पणी** : जहां एक अंशदाता, जिसका कोई परिवार नहीं है, नामांकन करता है, वह इस कॉलम में निर्दिष्ट करेगा कि उसके बाद में एक परिवार प्राप्त करने की स्थिति में नामांकन अमान्य हो जाएगा।

तूत्तुक्कुडि पत्तन में अनिवार्य अभिदाताओं को भविष्य निधि खाता संख्या के आबंटन के विवरणों का विवरण

कार्यालय .....

खाते का शीर्ष जिसमें वेतन और भत्ता की कटौती की जाती है .....

निधि का नाम .....

फॉर्म – I

(विनियम 4(6) देखें)

क्र0 सं0	अंशदाता का नाम	अंशदाताओं के पिता/ पति का नाम	अंशदाता की जन्म तिथि	सेवा में शामिल होने की तिथि	पदनाम	परिलब्धियां	अंशदान का मासिक दर (पूरे रूपयों में)	जिस महीने से अंशदान शुरू होनी है	टिप्पणीयां	लेखा विभाग द्वारा भरा जाने वाला आबंटित खाता क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

खाता संख्या आबंटित करने के बाद प्रमुख कार्यालय को लौटाने की तारीख .....

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

फॉर्म – V

भविष्य निधि से अग्रिम हेतु आवेदन करने का प्रपत्र

तूत्तुक्कुडि पत्तन

से अग्रिम केलिए आवेदन (यहां निधि का नाम लिखें)

1 अंशदाता का नाम

2 खाता संख्या (विभागीय सफ्फिक्स सहित)

3 पदनाम

4 वेतन

5 नीचे दिए गए अनुसार आवेदन करने की तारीख पर अंशदाता के खाते का शेष :

i) वर्ष केलिए विवरण के अनुसार अंतशेष .....

ii) ..... से ..... तक जमा, अंशदान .....

iii) प्रतिलभ्य

iv) ..... से ..... अवधि के दौरान निकासी

v) निवल शेष या जमा

6 अग्रिम की रकम : बकाया, अगर कोई और उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम ली जा रही है

7 जरूरी अग्रिम की राशि

8 ए) उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम की जरूरत है

बी) नियम जिसके तहत अनुरोध किया जा रहा है

9 समेकित अग्रिमों की रकम (मद 6 एवं 7) और मासिक किस्तों की संख्या, जिसमें समेकित अग्रिम को अदा किए जाने का प्रस्ताव है

10 अंशदाता के धन–संबंधी परिस्थितियों का पूरा विवरण, अग्रिम केलिए आवेदन का औचित्य

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अनुभाग / शाखा

फॉर्म – VII

भविष्य निधि से अग्रिम की मंजूरी का प्रपत्र

तूत्तुक्कुडि पत्तन संख्या

मंजूरी .....

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को, ... पर खर्च करने हेतु उनको अपने जीपीएफ/सीपीएफ खाता नंबर ..... से रुपया ..... (रुपया ..... मात्र) का अग्रिम प्रदान करने हेतु ..... के नियम ..... के तहत एतद्द्वारा मंजूरी दी जाती है।

2 ..... में अदायगी के लिए ..... महीने के वतने से हरेक महीने केलिए रु ..... को मासिक किस्तों में अग्रिम को प्रतिलभ्य किया जाएगा ।

3 ..... में मंजूरीकृत ..... रुपये ..... के अग्रिम में से रु ..... (रुपया ..... मात्र) की रकम और ..... में उसको अदा को, नीचे विनिर्दिष्टानुसार समेकित रकम का प्रतिलभ्य शुरू होने तक बकाया होगा। यह रकम अग्रिम सहित जो अभी मंजूरीकृत है, रु ..... के रूप में समेकित है, को ..... में भुगतान करने हेतु ..... महीने केलिए वेतन से हरेक महीने केलिए रु ..... को मासिक किस्तों में ..... में प्रतिलभ्य किया जाएगा।

4 ..... के अनुसार श्री ..... के खाते में ज़मा नीचे दिए विवरणानुसार है :

(I) वर्ष ..... केलिए खाते पर्ची के अनुसार शेष रु .....

(II) ..... से ..... तक , रु ..... प्रति माह के दर पर बाद के हरेक निक्षेप एवं प्रतिलभ्य

(III) कॉलम (I) और (II) का कुल रु .....

(IV) बाद की निकासी , अगर कोई रु .....

(V) मंजूरीकृत कॉलम (III) और (IV) की तारीख के अनुसार शेष रु .....

सेवा में

स्वीकृति प्राधिकारी

फॉर्म – VIII

भविष्य निधि से निकासी के आवेदन का प्रपत्र

तूत्तुक्कुडि पत्तन संख्या

(निधि का नाम लिखें) से निकासी केलिए आवेदन

1 अंशदाता का नाम

2 खाता नंबर (विभागीय प्रत्यय सहित)

3 पदनाम

4 वेतन

5 सर्विस में भार संभालने की तारीख और सेवानिवृत्ति की तारीख

6 नीच दिए गए अनुसार आवेदन की तारीख पर अंशदाता के खाते में शेष

(I) वर्ष ..... के लिए विवरणानुसार अंतशेष

(II) मासिक अंशदान की वज़ह से ..... से ..... तक ज़मा

(III) ऊपर (I) के जरिए शेष को अंत करने के बाद निधि को किया गया प्रतिलभ्य

(IV) ..... से ..... अवधि तक के दौरान निकासी

(V) आवेदन के तारीख को ज़मा का निवल शेष

7 निकासी की आवश्यक रकम

8 ए) उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम की जरूरत है

बी) नियम जिसके तहत अनुरोध किया जा रहा है

9 क्या पहले कभी इसी उद्देश्य हेतु कोई निकासी की गई थीं, अगर है तो रकम और वर्ष

दिनांकित : आवेदक का हस्ताक्षर

पदनाम :

अनुभाग / शाखा :

फॉर्म – IX

भविष्य निधि से निकासी मंजूर करने केलिए प्रपत्र

तूत्तुक्कुडि पत्तन

सेवा में
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
तूत्तुक्कुडि पत्तन
तूत्तुक्कुडि – 628 004

महोदय,

विषय : श्री ..... को ..... (निधि का नाम लिखा जाना है) से निकासी

मुझे, श्री ..... द्वारा अपने खर्चों को चुकाने हेतु सक्षम बनाने केलिए, उसके निधि खाते नंबर ..... (विभागीय प्रत्यय के सहित) से रुपया ..... (रुपया ..... मात्र) की राशि को, ... नियम ..... के नियम ..... की स्वीकृति देने का निदेश हुआ है (यहां पदनाम दर्ज करें) ।

2 निकासी की रकम, श्री ..... के वेतन के 6 महीने से अधिक नहीं है या ..... निधि खाते में उसके क्रेडिट/अंशदान की राशि से अधिक नहीं है। (एफआरएस (ए) में परिभाषितानुसार) उसका मूल वेतन रु ..... है।

3 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... सेवानिवृत्ति के दस वर्ष के भीतर अपनी सरकारी सेवा के 20/25 वर्ष पूरे कर चुके हैं।

4 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... द्वारा सभी सरकारी स्रोतों से गृह निर्माण के प्रयोजन केलिए आहरित कुल राशि रु 1,00,000 या उसके पचहत्तर महीनें का वेतन है, जो भी कम हो, का भुगतान करें।

5 ..... के अनुसार श्री ..... के खाते में ज़मा नीचे दिए विवरणानुसार है :

(I) वर्ष ..... केलिए खाते पर्ची के अनुसार शेष रु .....

(II) ..... से ..... तक, रु ..... प्रति माह के दर पर बाद के हरेक निक्षेप एवं प्रतिलभ्य

(III) कॉलम (I) और (II) का कुल रु .....

(IV) बाद की निकासी , अगर कोई रु .....

(V) मंजूरीकृत कॉलम (III) और (IV) की तारीख के अनुसार शेष रु .....

श्री ..... को अंतिम बार, इस कार्यालय द्वारा वर्ष ..... केलिए खाता विवरण के बाद ..... के माध्यम से रुपया ..... की राशि केलिए, आंशिक अंतिम निकासी की मंजूरी दी गई थी। (श्री ..... समझा जाता है, जैसा कि उसके द्वारा कहा गया है) ..... द्वारा रु ..... को अंतिम बार, रुपये की अंतिम निकासी की मंजूरी दी गई थी।

भवदीय,

प्रति अग्रप्रेषित :

1 .....

2 जीपीएफ (सीएस)/सीपीएफ नियमों के नियम ..... के प्रावधान की ओर, श्री ..... का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार जिस अंशदाता को निधि से निकासी करने की अनुमति दी गई है, उसे स्वीकृति प्राधिकारी को संतुष्ट करना चाहिए कि धन का उपयोग किया गया है, जिस उद्देश्य से इसे वापस लिया गया था। इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि ऊपर निकासी का उपयोग उसी उद्देश्य केलिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है, इसलिए कृपया धन के निकासी के ..... महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

फॉर्म – X

..... में के शेष को निकायों/अन्य सरकारों को अंतरण करने/ अंतिम भुगतान करने हेतु आवोदन का प्रपत्र

पीएफ खाता

सेवा में
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
तूत्तुक्कुडि पत्तन
तूत्तुक्कुडि – 4

(मुख्यालय/विभाग के जरिए)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूँ / ..... महीनों केलिए सेवानिवृत्ति की तैयारी केलिए छुट्टी पर चला गया / सेवामुक्त / बर्खास्त / स्थायी रूप से ..... को स्थानांतरित कर दिया गया हूँ, अंत में तूत्तुक्कुडि पत्तन से इस्तीफा दे दिया है, तूत्तुक्कुडि पत्तन के तहत की सेवा ..... के साथ नियुक्ति लेने केलिए और मेरा इस्तीफा ..... पूर्वाह्न/अप्राह्न से प्रभावी रूप में स्वीकार कर लिया गया है। मैं ..... को . ..... पूर्वाह्न/अप्राह्न के साथ सेवा में शामिल हुआ ।

2 मेरा भविष्य निधि खाता नंबर है .....

3 मेरा नमूना हस्ताक्षर दो प्रतियों में किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित संलग्न है।

भाग – I

(सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व तक अंतिम भुगतान केलिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, भरा जाना है)

4 मेरा अनुरोध है कि राशि रु ..... मेरे जीपीएफ खाते में क्रेडिट किया जाना है जैसा कि मुझे वर्ष केलिए जारी किए गए खातों के विवरण में दर्शाया गया है जो कि ..... संलग्न/जैसा कि मेरे खाता बही में दिखाई दे रहा है , आपके द्वारा अनुरक्षित, कृपया मुझे ..... कोषागार/उप कोषागार के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था करें।

5 प्रमाणि किया जाता है कि मैंने निम्नलिखित अग्रिम लिया था, जिसके संबंध में ..... रुपये की किस्तें निधि खाते में चुकाई जानी बाकी हैं, मैंने निम्नलिखित अंतिम निकासी लिया था :

अस्थायी अग्रिम अंतिम निकासी

1

2

3

4

मेरे द्वारा निकासी अस्थायी अग्रिम/मेरे द्वारा मेरे पीएफ खाते से मेरे द्वारा सेवानिवृत्ति की तैयारी की छुट्टी पर चल रही ..... के तहत सेवा छोड़ने की तारीख से पहले के 12 महीनों के दौरान मेरे द्वारा की गई अंतिम निकासी का विवरण या उसके बाद नीचे दिए गए हैं।

अग्रिम के रकम की तारीख

1

2

7 मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि ..... सरकार/के तहत मेरी सेवा छोड़ने की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों के दौरान मेरे द्वारा मेरे पीएफ खाते से कोई राशि नहीं निकाली गई/निम्नलिखित राशियां नहीं निकाली गई । बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए या नई पॉलिसी की खरीद के लिए उसके बाद सेवानिवृत्ति केलिए प्रारंभिक अवकाश पर कार्यवाही करना

देय रकम

1

2

8 आपके द्वारा जारी की जाने वाली पीएफ से मेरे द्वारा वित्तपोषित जीवन बीमा पॉलिसियों का विवरण नीचे दिया गया है :

पॉलिसी संख्या एवं सह नाम सुनिश्चित राशि

1

2

3

4

स्थान :

दिनांकित :

भवदीय

हस्ताक्षर .....

(नाम एवं पता).....

पैरा 4 केवल तभी लागू होता है जब भुगतान जिला मुख्यालय के अलावा किसी अन्य कोषागार में वांछित हो, जहां अंशदाता ने पिछली बार सेवा दी थी। अन्यथा इसे बाहर किया जा सकता है।

मुख्यालय विभाग द्वारा प्रमाण पत्र

पृष्ठांकन संख्या ..... दिनांकित ..... के अग्रप्रेषण की निरंतरता

1 ए मेरे कार्यालय में रिकार्ड के संदर्भ में उचित सत्यापन के बाद, यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक को उसके भविष्य निधि खाते से उसकी सेवा छोड़ने की तारीख से तुरंत पहले के 12 महीनों के दौरान कोई अस्थायी अग्रिम/अंतिम निकासी मंजूर नहीं की गई थी। तूत्तुक्कुडि पत्तन/सेवानिवृत्ति की तैयारी या उसके बाद छुट्टी पर कार्यवाही करना।

2 यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे कार्यालय में रिकार्ड के संदर्भ में उचित सत्यापन के बाद, निम्नलिखित अस्थायी अग्रिम/अंतिम निकासी आवेदक द्वारा उसके भविष्य निधि खाते से उसकी तूत्तुक्कुडि पत्तन के तहत सेवा छोडना/सेवानिवृत्ति की तैयारी या उसके बाद छुट्टी पर आगे जाना।

अग्रिम / निकासी की राशि ..... दिनांक ..... वाउचर नंबर .....

1

2

3 यह प्रमाणित किया जाता है कि तूत्तुक्कुडि पत्तन की कोई मांग/निम्नलिखित मांग वसूली के लिए देय नहीं है।

4 प्रमाणित किया जाता है कि उसने तूत्तुक्कुडि सेवा पत्तन से केन्द्र सरकार के किसी विभाग में या राज्य सरकार के अधीन या राज्य के स्वामित्व वाले या नियंत्रित निकाय के तहत नियुक्ति लेने केलिए पत्तन अधिकारियों की पूर्व अनुमति से इस्तीफा नहीं दिया है।

(कार्यालय अध्यक्ष का हस्ताक्षर)